

अध्याय – 3

वित्तीय प्रतिवेदन

अध्याय - 3

वित्तीय प्रतिवेदन

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचनाओं सहित अच्छी आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली राज्य सरकार के कुशल एवं प्रभावी संचालन में महत्वपूर्ण योगदान करती है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, कार्यविधि तथा अनुदेशों के अनुपालन के साथ-साथ ऐसी अनुपालनाओं की स्थिति पर प्रतिवेदन की समयपरक गुणवत्ता, सुशासन के महत्वपूर्ण घटकों में से एक है। अनुपालन एवं नियन्त्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावशाली और क्रियात्मक हों तो, रणनीतिक आयोजना, निर्णयन तथा शेर धारकों के उत्तरदायित्व जैसे प्रबंधात्मक उत्तरदायित्वों की पूर्ति में राज्य सरकार को सहायता पहुँचाते हैं। यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधि एवं अनुदेशों की राज्य सरकार द्वारा की गई अनुपालना की स्थिति का एक विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

वित्तीय नियमावली में उपबंध है कि विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदत्त अनुदानों के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये जाने चाहिए तथा सत्यापन के पश्चात उन्हें अन्यथा विनिर्दिष्ट न होने पर, संस्वीकृति तिथि से 18 माहों के अन्दर प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। अगस्त 2013 तक ₹ 617.59 करोड़ की राशि के 599 उपयोगिता प्रमाणपत्र लम्बित थे। इनमें से, ₹ 256.84 करोड़ धनराशि के 213 उपयोगिता प्रमाण पत्र (35.56 प्रतिशत) दो वर्षों तक की अवधि से लम्बित थे तथा दो वर्षों से ऊपर के ₹ 360.75 करोड़ धनराशि के 386 उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में अवधि-वार विलम्ब तालिका-3.1 में सारांशित है।

तालिका-3.1

अगस्त 2013 को उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अवधि-वार बकाये

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	वर्षों की संख्या में विलम्ब की सीमा	लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि
1	0-1	97	146.36
2	1-2	116	110.48
3	दो वर्षों से ऊपर	386	360.75
	योग	599	617.59

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सकता कि क्या प्राप्तकर्ता ने अभीष्ट उद्देश्य पर ही अनुदान का उपयोग किया है, जिस हेतु उनकी स्वीकृति दी गयी थी। इसलिए, प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के शीघ्र प्रस्तुतीकरण हेतु विभागों द्वारा प्रयास किए जाएँ।

3.2 विभागीय प्रबन्धित वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

अर्द्ध वाणिज्यिक प्रकृति के कार्यकलाप वाले कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षित है कि वे विहित प्रपत्र में वार्षिक रूप से वित्तीय कार्यकलापों के कार्य-चालन परिणाम प्रदर्शित करते हुये प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनके क्रियाकलापों का आकलन कर सके। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के वार्षिक अन्तिमीकृत लेखे, उनके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य तथा अपने कारोबार को संचालित करने में कार्य कुशलता को दर्शाते हैं। लेखों को समय पर अन्तिम रूप न दिये जाने के अभाव में, सरकारी निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान मण्डल की संवीक्षा के अन्तर्गत नहीं आ पाते। परिणामतः, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने व कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु यदि कोई सुधारात्मक उपाय अपेक्षित हों तो वे समय पर नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त, सभी तरह के विलम्ब से, व्यवस्था में हर समय धोखाधड़ी व सार्वजनिक धन के निःसाव की सम्भावना बनी रहती है।

सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसे उपक्रम अपने लेखे तैयार करें तथा विहित समय सीमा के अन्तर्गत लेखापरीक्षार्थ प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रस्तुत करें। सितंबर 2013 तक, तीन ऐसे उपक्रमों में से दो ने लेखे तैयार नहीं किए थे तथा उनके लेखे वर्ष 2003-04 व उसके बाद से बकाये थे। प्रोफार्मा लेखे तैयार करने के बकाये व सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति परिशिष्ट-3.1 में दी गयी है।

लेखे को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से, वित्तीय अनियमितता के जोखिम का पता नहीं लगता, अतः लेखे को तैयार कर लेखापरीक्षा को शीघ्रतम प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

3.3 दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि

लेखापरीक्षा ने मार्च 2013 तक ₹ 1.44 करोड़ की सरकारी राशि के दुर्विनियोग, गबन व चोरी आदि के चार प्रकरण पाए जिन पर अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार विवरण तथा अवधि-वार विश्लेषण परिशिष्ट-3.2 में दिया गया है तथा इन मामलों की प्रकृति परिशिष्ट-3.3 में दी गई है। लम्बित मामलों का अवधि-वार विवरण तथा प्रत्येक संवर्ग में चोरी तथा दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि के लम्बित मामलों की संख्या को तालिका 3.2 में सारांशित किया गया है।

तालिका-3.2

31 मार्च 2013 के अनुसार दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि के मामलों की रूपरेखा

लम्बित मामलों का अवधि-वार विवरण			लम्बित मामलों की प्रकृति		
सीमा वर्षों में	मामलों की संख्या	सन्निहित धनराशि (₹ लाख में)	मामलों की प्रकृति/विशिष्टियाँ	मामलों की संख्या	सन्निहित धनराशि (₹ लाख में)
0-1	01	37.18	दुर्विनियोग/माल की हानि	04	143.78
1-2	02	105.53			
2-3	--	--	--	--	--
3-4	--	--			
4-5	01	1.07	योग	04	143.78
5 एवं अधिक	--	--	वर्ष के दौरान हानियों के अपलेखन के मामले	--	--
योग	04	143.78	कुल लम्बित मामले	04	143.78

इनमें से ₹ 143.78 लाख की चोरी, दुर्विनियोग/हानि के अन्तिम कार्रवाई हेतु अनिर्णित चार मामलों में से ₹ 1.07 लाख का एक अनिर्णित मामला शिक्षा विभाग के पास था जबकि ₹ 142.71 लाख की पर्याप्त राशि के तीन मामलों को वन विभाग द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना प्रतीक्षित था।

इस प्रकार एक प्रभावपूर्ण पद्धति को दुर्विनियोग, हानि व गबन के प्रकरणों के शीघ्रतम निस्तारण हेतु स्थापित करने और भविष्य में ऐसे प्रकरणों की पुनरावृत्ति से बचना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3.4 लघु शीर्ष 800- 'अन्य प्राप्ति' तथा 'अन्य व्यय' के अधीन बुकिंग

2012-13 के दौरान 39 मुख्य लेखा शीर्ष (सरकार के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए) के अन्तर्गत ₹ 858.18 करोड़ राजस्व लेखा में लघु शीर्ष 'अन्य व्यय' - जो कुल राजस्व व्यय, संबंधित मुख्य शीर्ष के अधीन अभिलिखित - के 6.15 प्रतिशत अंश बनता है - के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। इसी प्रकार, 38 मुख्य लेखा शीर्ष (सरकार के कार्यों का प्रतिनिधित्व करते हुए) के अन्तर्गत कुल राशि ₹ 2,462.87 करोड़ राजस्व लेखा में लघु शीर्ष 'अन्य प्राप्ति', जो कुल राजस्व प्राप्ति - संबंधित मुख्य शीर्ष के अधीन अभिलिखित- के 15.64 प्रतिशत अंश बनता है, के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया था। तीन मुख्य लेखा शीर्षों में व्यय राशि प्रचुर मात्रा (₹ 119.90 करोड़) में 'अन्य व्यय' के अधीन बुक की गई थी तथा नौ मुख्य लेखा शीर्षों में प्राप्ति की प्रचुर रकम (₹ 1,830.78 करोड़)

'अन्य प्राप्ति' के अधीन बुक की गई थी। वित्तीय लेखाओं में मुख्य योजनाओं का अलग से आरेखण नहीं किया है, तथापि इन लेखाओं के विवरण उप-शीर्ष (योजना) स्तर या निम्न में, अनुदानों के विवरणात्मक माँगों में तथा संबन्धित शीर्ष-वार विनियोजित लेखाओं में सरकार लेखाओं के भाग बनकर आरेखित है।

लघु शीर्ष '800'-अन्य प्राप्ति/व्यय के अधीन भारी रकम का वर्गीकरण वित्तीय प्रतिवेदन कार्य में पारदर्शिता/शुद्ध चित्रण को प्रभावित करता है।

3.5 मुख्य शीर्ष 8009 एवं 2049 के अंतर्गत त्रुटिपूर्ण आँकड़ों की प्रविष्टि

राज्य सरकार के चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के ब्याज से सम्बन्धित आँकड़े कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, देहरादून को उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं। अतः वित्त लेखे 2012-13 में इस मद में बजट से सम्बन्धित आँकड़ों (₹ 80 करोड़) को सम्मिलित किया जा रहा है। यह लेखा के परिशुद्धता को कम करता है तथा साथ ही सामान्य भविष्य निधि के कपटपूर्ण आहरण के जोखिम को बढ़ाता है।

3.6 निष्कर्ष

सरकार द्वारा सूत्रबद्ध विभिन्न नियम, कार्यविधियाँ तथा निदेशनों के अनुपालन के संबन्ध में परिकल्पना के अनुसार सरकारी विभागों के अन्दर आंतरिक नियंत्रण तंत्र कार्यरत नहीं है। विभागीय तौर पर प्रबन्धित सरकारी उपक्रमों द्वारा वार्षिक कच्चे लेखाओं के उपक्रम की मूल आवश्यकताओं के अनुपालन खामियों में तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा ए सी बिलों पर आहरित भारी रकम के असमायोजन में, वित्तीय प्रतिवेदन कार्य परिशुद्ध तथा विश्वासयोग्य नहीं हो सकता। विभिन्न अनुदानित संस्थाओं को दिए गए ऋणों तथा अनुदानों के विरुद्ध प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में विलंब सूचित करता है कि सरकार के अनुश्रवण तंत्र का सशक्तीकरण आवश्यक है जैसे 599 की संख्या में ₹ 617.59 करोड़ की यू सी जो प्रस्तुतीकरण हेतु नियत थे-प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को, लेखाओं के पुनःसमाधान तथा निधियों के उचित उपयोग पर निगरानी रखने हेतु प्रस्तुत नहीं किए गए।

हानि/दुर्विनियोग व गबन के प्रकरणों में विभागीय जाँचों में दोषियों को दण्डित करने हेतु तेजी लानी चाहिए। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि के ब्याज से सम्बन्धित वास्तविक आँकड़े राज्य सरकार से प्राप्त होने के कारण बजट के आँकड़े वित्त लेखे में समाहित किये जा रहे हैं।

3.7 संस्तुतियाँ

सरकार सुनिश्चित करने हेतु विचार करे कि :

- अनुदानित संस्थाओं को विशेष प्रयोजन हेतु अवमुक्त अनुदानों के संबन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र समय से प्रस्तुत हों।
- सभी गबन व दुर्विनियोजन प्रकरणों संबंधी विभागीय जाँच में गति लाएँ तथा इन प्रकरणों को रोकने के लिए सभी संगठनों में आन्तरिक नियंत्रणों का सशक्तिकरण करें।
- लघु शीर्ष '800-अन्य व्यय' तथा '800-अन्य प्राप्तियाँ' के अधीन मुख्य योजनाओं के प्राप्तियों तथा व्यय को सम्मिलित करने के वित्तीय प्रतिवेदन कार्य में सुधार लाएँ।

देहरादून
दिनांक

(सौरभ नारायण)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक